IN THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 585 OF 2023

IN THE MATTER OF:

ARIF KIDWAI ... **Applicant**

Versus

UNION OF INDIA & ORS. ...**Respondent(s)**

INDEX

S. No.	Particulars	Page No.
1.	**Reply on behalf of Respondent No. 03, State of Uttar Pradesh and Respondent No. 04 State Level Environment Impact Assessment Authority, U.P.**	1-8
2.	**Annexure no.01-** True copy of notification SO 1224(E) dated 28.03.2020.	9-15

3.	**Annexure no.02**- True copy of "Uttar Pradesh Minor Minerals (Concession)(Thirty-seventh Amendment) Rules 2014" dated 22.10.2014.	16 - 24
4.	**Annexure no.03**- True copy of order dated 01.05.2020.	25 - 26

RESPONDENT

THROUGH

PRIYANKA SWAMI
Advocate
Counsel for SEIAA, U.P.
F- 13, Ground Floor,
Jangpura Extension,
New Delhi- 110014

Date: __.12.2023

IN THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 585 OF 2023

IN THE MATTER OF:

ARIF KIDWAI ... **Applicant**

Versus

UNION OF INDIA & ORS. ...**Respondent(s)**

Reply on behalf of Respondent No. 03, State of Uttar Pradesh, and Respondent No. 04 State Level Environment Impact Assessment Authority, U.P.

MOST RESPECTFULLY SHOWETH: -

PRELIMINARY SUBMISSIONS:

I. That the Ministry of Environment and Forest, Govt. of India through its notification dated 14/09/2006 (as amended) has made it mandatory to obtain Prior Environmental Clearance prior to establishment or expansion of any such project or activity which is listed in the schedule of notification.

Environmental clearance shall be required for the following:

a) All new projects or activities are listed in the Schedule to this notification.

b) Expansion and modernization of existing projects or activities listed in the Schedule to this notification with the addition of capacity beyond the limits specified for the concerned sector, that is, projects or activities that cross the threshold limits given in the Schedule, after expansion or modernization;

c) Any change in product mix in an existing manufacturing unit included in the Schedule beyond the specified range.

d) The objective of this process is to impose certain restrictions and prohibitions on new projects or activities, or on the expansion or modernization of existing projects or activities based on their potential environmental impacts.

II. The environmental clearance shall be taken from the Central Government in the Ministry of Environment and Forests for matters falling under Category 'A' in the Schedule and at the State level, the State Environment Impact Assessment Authority (SEIAA) for matters falling under Category 'B' in the said Schedule, before any construction work, or preparation of land by the project management except for securing the land, is started on the project or activity. The State Environment Impact Assessment Authority (SEIAA) shall base its decision on the recommendations of a State level Expert Appraisal Committee (SEAC).

III. The SEIAA and SEAC, Uttar Pradesh have been constituted by the Ministry of Environment and Forest & CC, Govt. of India vide notification bearing

no. S.O 3338(E) dt. 16.10.2017 and subsequently reconstituted through notification bearing no. S.O. 2276(E) dated 11/06/2021

IV. Directorate of Environment, Govt. of U.P. has been declared to function as Secretariat to these statutory bodies i.e. SEIAA and SEAC by the State Government.

V. All such project proposals received by the SEIAA, UP for Prior Environmental Clearance are dealt with according to the EIA Notification, 2006 (as amended).

Reply on merits:-

1. It is most respectfully submitted that the Ministry of Environment, Forest and, Climate Change Govt. of India has issued notification SO 1224(E) dated 28.03.2020 wherein the central government exempted certain cases from the requirement of Environmental Clearance.

2. That As per Appendix-IX of the notification SO 1224(E), dated 28.03.2020 the following cases shall not require Prior Environmental Clearance, namely:-

   i. *"Extraction of ordinary clay or sand by manual mining, by the Kumhars (Potter) to prepare earthen pots, lamps, toys, etc. as per their customs.*

   ii. *Extraction of ordinary clay or sand by manual mining, by earthen tile makers who prepare earthen tiles.*

   iii. *Removal of sand deposits on agricultural field after flood by farmers.*

iv. *Customary extraction of sand and ordinary earth from sources situated in Gram Panchayat for personal use or community work in village.*

v. *Community works, like, de-silting of village ponds or tanks, construction of village roads, ponds or bunds undertaken in Mahatma Gandhi National Rural Employment and Guarantee Schemes, other Government sponsored schemes and community efforts.*

vi. *Extraction or sourcing or borrowing of ordinary earth for the linear projects such as roads, pipelines, etc.*

vii. *Dredging and de-silting of dams, reservoirs, weirs, barrages, river and canals for the purpose of their maintenance, upkeep and disaster management.*

viii. *Traditional occupational work of sand by Vanjara and Oads in Gujarat vide notification number GU/90(16)/MCR-2189(68)/5-CHH, dated the 14th February, 1990 of the Government of Gujarat.*

ix. *Manual extraction of lime shells (dead shell), shrines, etc., within inter tidal zone by the traditional community.*

x. *Digging of wells for irrigation or drinking water purpose.*

xi. *Digging of foundation for buildings, not requiring prior environmental clearance, as the case may be.*

xii. *Excavation of ordinary earth or clay for plugging of any breach caused in canal, nallah, drain, water body, etc., to deal with any disaster or flood like situation upon orders of the District Collector or District Magistrate or any other Competent Authority.*

(5)

xiii. *Activities declared by the State Government under legislations or rules as non-mining activity."*

A concerned copy of notification SO 1224(E) dated 28.03.2020 is being filed herewith and marked as **Annexure no.01.**

3. It is also submitted that the Geology and Mining Department, Government of Uttar Pradesh through its "Uttar Pradesh Minor Minerals (Concession)(Thirty-seventh Amendment) Rules 2014" dated 22.10.2014 has notified that:-

> ***स्पष्टीकरणः- इस नियमावली के प्रयोजनार्थ ईट एवं मिट्टी के बर्तन बनाने हेतु हस्तचालन से खुदायी द्वारा अथवा हस्तचालन से साधारण मृदा, समान्य मिट्टी को निकालने की क्रिया खनन संक्रियायें के अंतर्गत नहीं आयेगी।***
>
> ***प्रतिबन्ध यह कि ऐसी खुदाई अथवा खनन के फलस्वरूप उत्पन्न गड्ढों की गहराई 02 मीटर से अधिक नहीं होगी***
>
> ***(2) कोई खनन पट्टा या खनन अनुज्ञा पत्र इस नियमावली के उपबन्धों से भिन्न प्रकार न दिया जायेगा।***

A concerned copy of "Uttar Pradesh Minor Minerals (Concession)(Thirty-seventh Amendment) Rules 2014" dated 22.10.2014 is being filed herewith and marked as **Annexure no.02.**

(6)

4. It is most respectful to be brought to light that the order dated 01.05.2020. It was duly considered and issued in reference to the Ministry of Environment, Forest and, Climate Change Govt. of India notification dated 28.03.2020 as per Appendix IX point 13, which was very well in accordance with the "Uttar Pradesh Minor Minerals (Concession)(Thirty-seventh Amendment) Rules 2014" issued by Geology and Mining Department, Government of Uttar Pradesh. The concerned copy of the order dated 01.05.2020 is being filed herewith and marked as **Annexure no.03.**

PRAYER

It is, therefore, most respectfully prayed that this Hon'ble Tribunal may graciously be pleased to:

i. Dismiss this Application with Exemplary cost Or

ii. Pass any such other order as may deem fit.

RESPONDENT

THROUGH

PRIYANKA SWAMI
Advocate
Counsel for SEIAA, U.P.
F- 13, Ground Floor,
Jangpura Extension,
New Delhi- 110014

Date: __.12.2023

(7)

IN THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 585 OF 2023

IN THE MATTER OF:

ARIF KIDWAI **... Applicant**

Versus

UNION OF INDIA & ORS. **...Respondent(s)**

AFFIDAVIT

Affidavit of Sh. ANURAG KUMAR, aged about 47 years s/o Sh. PREM NARAYAN, presently posted as DEPUTY DIRECTOR, DIRECTORATE OF ENVIRONMENT, having an office at E-12/1, NOIDA, Uttar Pradesh. **PRESENTLY AT DELH**

1. That I am posted as stated above and well conversant with the facts of the present case and as such competent to swear this affidavit before this Tribunal.
2. That the accompanying reply has been drafted by our counsel upon my instructions.
3. That the contents of the accompanying reply are true and correct and the knowledge has been derived from official records and nothing material has been concealed therefrom.

NOTARY
Name: R.P. Bansal
Area: New Delhi
Regd. No.: 10678/14
Expiry Date: 28/06/2024
GOVT. OF INDIA

(8)

DEPONENT

VERIFICATION

Verified on solemn affirmation at New Delhi on this 8 DEC 2023 day of December 2023, that the contents of the foregoing affidavit are true and correct to the best of my knowledge no part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.

IDENTIFIED BY

DEPONENT

NOTARY GOVT. OF INDIA
Name: R.P. Bansal
Area: New Delhi
Regd. No.: 10678/14
Expiry Date: 28/06/2024

ATTESTED
Notary Public, Delhi
(As Presented)
8 DEC 2023

Annex. 1

(9)

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28032020-218948
CG-DL-E-28032020-218948

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1088] नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 28, 2020/चैत्र 8, 1942
No. 1088] NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 28, 2020/CHAITRA 8, 1942

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 मार्च, 2020

का.आ. 1224(अ).—खनिज विधि (संशोधन) अधिनियम 2020 (2020 का 2), खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) (जिसे इसमें इसके पश्चात् एमएमडीआर अधिनियम कहा गया है) द्वारा 10 जनवरी, 2020 से प्रभावी संशोधन किया गया है और अन्य बातों के साथ कानूनी निर्बाधन के अंतरण के लिए उपबंधों से संबंधित नई धारा 8ख का अंत:स्थापन किया गया है;

और, एमएमडीआर अधिनियम की धारा 8ख की उप-धारा (2) यह उपबंध करता है कि इस अधिनियम में या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, धारा 8क की उप-धारा (5) और उप-धारा (6) के उपबंधों के अधीन अवसान होने वाले खनन पट्टे का सफल बोली लगाने वाला और उस अधिनियम के अधीन या तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन उपबंधित प्रक्रिया के अनुसार नीलामी के माध्यम से अर्जित सभी विधिमान्य अधिकार, अनुमोदन, निकासी, अनुज्ञप्ति और इसी प्रकार दो वर्ष की अवधि के लिए पूर्ववर्ती पट्टेदार पर निहित होना समझा जाएगा;

और, एमएमडीआर अधिनियम की धारा 8ख की उप-धारा (3) यह उपबंध करता है कि तत्समय प्रवृत्त अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बाते के होते हुए भी, यह उस भूमि पर जिसमें नया पट्टा के प्रारंभ से दो वर्ष की अवधि के लिए पूर्ववर्ती पट्टादार द्वारा खनन संक्रियाएं कार्यान्वित किए जा रहे थे, निरंतर खनन संक्रियाओं को नए पट्टेदार के लिए विधिपूर्ण किया जाएगा;

और, एमएमडीआर अधिनियम को पूर्वोक्त संशोधन के प्रयोजन के लिए केंद्रीय सरकार, भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का. आ. 1533 (अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 (जिसे इसमें इसके पश्चात् ईआईए अधिसूचना, 2006 कहा गया है) के सुसंगत उपबंधों को सम्मिलित करने के लिए आवश्यक समझती है।

और, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में सड़कों के लिए साधारण पृथ्वी का उपयोग करने के लिए पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति की अपेक्षा के अधित्याग के लिए अभ्यावेदनों की प्राप्ति पर; और पारंपरिक समुदाय द्वारा अंतर ज्वारीय क्षेत्र के भीतर चूने के गोले (मृत भू-पटल), पवित्र स्थानों, आदि के मैनुअल निकासी;

अत:, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उप-नियम (4) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) के खंड (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लोकहित में, उक्त नियमों के नियम 5 के उप-नियम (3) के खंड (क) के अधीन सूचना की अपेक्षा से अभिमुक्ति के पश्चात् और अधिसूचना सं. का. आ. 4307 (अ), तारीख 29 नवंबर, 2019 को अधिक्रांत करते हुए, ईआईए अधिसूचना, 2006 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में, -

(i) पैरा 11 में, उप-पैरा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उप-पैरा अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(3) खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की धारा 8क की उप-धारा (5) और उप-धारा (6) के उपबंधों के अधीन अवसान होने वाले खनन पट्टे का सफल बोली लगाने वाला और उस अधिनियम के अधीन और तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन उपबंधित प्रक्रिया के अनुसार नीलामी के माध्यम से चयनित नया पट्टा के प्रारंभ की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए पूर्ववर्ती पट्टेदार पर निहित पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति विधिमान्य अर्जित किया गया समझा जाएगा और यह नया पट्टा प्रारंभ की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए या उसमें उल्लिखित निबंधनों शर्तों के अनुसार नया पर्यावरणीय अनापत्ति, नया निकासी अभिप्राप्त होने तक, इसमें से जो भी पूर्वतर हो, उक्त पट्टा क्षेत्र पर पूर्ववर्ती पट्टेदार का स्वीकृत पर्यावरणीय अनापत्ति के निबंधनों और शर्तों के अनुसार निरंतर खनन संक्रिया नया पट्टेदार के लिए विधिपूर्ण होंगी;

परन्तु, सफल बोली लगाने वाला नया पट्टा मंजूर करने की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर विनियामक प्राधिकरण से पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति के लिए आवेदन करेगा और अभिप्राप्त करेगा।";

(ii) अनुसूची के मद 1 (क) के सामने, स्तंभ (5) के खंड (2) के टिप्पण के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(3) उक्त पट्टा के अवसान के पश्चात् पूर्ववर्ती पट्टेदार द्वारा खनन और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) के उपबंधों के अधीन खनन पट्टे के अवसान होने तक भीतर पड़ी पहले से ही खनिज वाह्य सामग्री का निष्क्रमण या निष्कासन और परिवहन उस अधिनियम के अधीन और तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन उपबंधित प्रक्रिया के अनुसार नीलामी के माध्यम से चयनित सफल बोली लगाने की इस प्रकार अनुज्ञात खनन हैसियत के भाग के रूप में नहीं होगा।"

(iii) परिशिष्ट – IX के लिए, निम्नलिखित परिशिष्ट प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"परिशिष्ट – 9

कतिपय मामलों के पर्यावरणीय अनापत्ति की अपेक्षा से छूट

निम्नलिखित मामलों को पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति की अपेक्षा नहीं होगी, अर्थात् :-

1. मैनुअल खनन द्वारा साधारण मिट्टी या बालू की कुम्हारों द्वारा मिट्टी के घड़े, लैम्प, खिलौने, आदि बनाने के लिए उनकी प्रथाओं के अनुसार निकासी ।

2. मैनुअल खनन द्वारा मिट्टी की टाइलें बनाने द्वारा जो मिट्टी की टाइलें बनाते हैं, के लिए साधारण मिट्टी या बालू की निकासी।

3. किसानों द्वारा बाढ़ के पश्चात् कृषि भूमि से बालू के जमाव को हटाना।

4. ग्राम पंचायत में अवस्थित स्रोतों से बालू और साधारण मिट्टी को वैयक्तिक उपयोग या ग्राम में समुदाय कार्य के लिए प्रथा के अनुसार खनन।

5. सामुदायिक कार्य जैसे ग्रामीण तालाबों या टैंकों से गाद हटाना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार और गारंटी स्कीमों, अन्य सरकारी स्कीमों, प्रायोजित तथा सामुदायिक प्रयासों द्वारा ग्रामीण सड़कों, तालाबों या बांधों का संनिर्माण।

6. सड़क, पाइपलाइन, आदि जैसे रेखीय परियोजनाओं के लिए साधारण मिट्टी की निकासी, निष्कासन या प्रयोग करना।

7. बांधों, तालाबों, मेड़ों, बैराजों, नदी और नहरों की उनके अनुरक्षित तथा आपदा प्रबंधन के प्रयोजन के लिए तलमार्जन और गाद निकालना।

8. गुजरात में गुजरात सरकार की तारीख 14 फरवरी, 1990 की अधिसूचना सं. जीयू / 90 (16)/ एमसीआर–2189 (68) / 5 – सीएचएच द्वारा बंजारा और ओड द्वारा बालू के पारंपरिक उपजीविका कार्य।

9. पारंपरिक समुदाय द्वारा अंतर ज्वारीय क्षेत्र के भीतर चूने के गोलों (मृत भू-पटल), पवित्र स्थानों, आदि के मैनुअल निकासी।

10. सिंचाई या पेयजल के लिए कुओं की खुदाई।

11. यथास्थिति, ऐसे भवनों की नींव के लिए खुदाई जिनके लिए पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति अपेक्षित नहीं है।

12. जिला कलेक्टर या जिला मजिस्ट्रेट या किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी के आदेश पर किसी नहर, नाला, ड्रेन, जल निकाय, आदि में होने वाली दरार को भरने के लिए साधारण मिट्टी या बालू का उत्खनन ताकि किसी आपदा या बाढ़ जैसी स्थिति से निपटा जा सकें।

13. ऐसे क्रियाकलाप, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा विधान या नियमों के अधीन गैर खननकारी क्रियाकलाप के रूप में घोषित किया गया है।"

[फा. सं. जेड–11013 / 47 / 2018–आई. ए. II (एम)]

गीता मेनन, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में सं. का. आ. 1533 (अ), तारीख 14 सितंबर 2006 द्वारा प्रकाशित की गई थी और निम्नलिखित सं. द्वारा पश्चात्वर्ती संशोधन किया गया :-

1. का. आ. 1949 (अ), तारीख 13 नवंबर, 2006;
2. का. आ. 1737 (अ), तारीख 11 अक्तूबर, 2007;
3. का. आ. 3067 (अ), तारीख 1 दिसंबर, 2009;
4. का. आ. 695 (अ), तारीख 4 अप्रैल, 2011;
5. का. आ. 156 (अ), तारीख 25 जनवरी, 2012;
6. का. आ. 2896 (अ), तारीख 13 दिसंबर, 2012;
7. का. आ. 674 (अ), तारीख 13 मार्च, 2013;
8. का. आ. 2204 (अ), तारीख 19 जुलाई, 2013;
9. का. आ. 2555 (अ), तारीख 21 अगस्त, 2013;
10. का. आ. 2559 (अ), तारीख 22 अगस्त, 2013;
11. का. आ. 2731 (अ), तारीख 9 सितंबर, 2013;

12. का. आ. 562 (अ), तारीख 26 फरवरी, 2014;
13. का. आ. 637 (अ), तारीख 28 फरवरी, 2014;
14. का. आ. 1599 (अ), तारीख 25 जून, 2014;
15. का. आ. 2601 (अ), तारीख 7 अक्तूबर, 2014;
16. का. आ. 2600 (अ), तारीख 9 अक्तूबर, 2014;
17. का. आ. 3252 (अ), तारीख 22 दिसंबर, 2014;
18. का. आ. 382 (अ), तारीख 3 फरवरी, 2015;
19. का. आ. 811 (अ), तारीख 23 मार्च, 2015;
20. का. आ. 996 (अ), तारीख 10 अप्रैल, 2015;
21. का. आ. 1142 (अ), तारीख 17 अप्रैल, 2015;
22. का. आ. 1141 (अ), तारीख 29 अप्रैल, 2015;
23. का. आ. 1834 (अ), तारीख 6 जुलाई, 2015;
24. का. आ. 2571 (अ), तारीख 31 अगस्त, 2015;
25. का. आ. 2572 (अ), तारीख 14 सितंबर, 2015;
26. का. आ. 141 (अ), तारीख 15 जनवरी, 2016;
27. का. आ. 648 (अ), तारीख 3 मार्च, 2016;
28. का. आ. 2269 (अ), तारीख 1 जुलाई, 2016;
29. का. आ. 2944 (अ), तारीख 14 सितंबर, 2016;
30. का. आ. 3518 (अ), तारीख 23 नवंबर, 2016;
31. का. आ. 3999 (अ), तारीख 9 दिसंबर, 2016;
32. का. आ. 4241 (अ), तारीख 30 दिसंबर, 2016;
33. का. आ. 3611 (अ), तारीख 25 जुलाई, 2018;
34. का. आ. 3977 (अ), तारीख 14 अगस्त, 2018;
35. का. आ. 5733 (अ), तारीख 14 नवंबर, 2018;
36. का. आ. 5736 (अ), तारीख 15 नवंबर, 2018;
37. का. आ. 5845 (अ), तारीख 26 नवंबर, 2018;
38. का. आ. 345 (अ), तारीख 17 जनवरी, 2019;
39. का. आ. 1960 (अ), तारीख 13 जून, 2019;
40. का. आ. 236 (अ), तारीख 16 जनवरी, 2020;
41. का. आ. 751 (अ), तारीख 17 फरवरी, 2020; और
42. का. आ. 1223 (अ), तारीख 27 मार्च, 2020।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th March, 2020

S.O. 1224(E).—WHEREAS, *vide* the Mineral Laws (Amendment) Act, 2020 (2 of 2020), the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (67 of 1957) (hereinafter referred to as MMDR Act) has been amended with effect from the 10^{th} day of January, 2020 and, *inter alia*, new section 8B relating to the provisions for transfer of statutory clearances has been inserted;

AND WHEREAS, sub-section (2) of section 8B of the MMDR Act provides that notwithstanding anything contained in this Act or any other law for the time being in force, the successful bidder of mining leases expiring under the provisions of sub-sections (5) and (6) of section 8A and selected through auction as per the procedure provided under this Act and the rules made thereunder, shall be deemed to have acquired all valid rights, approvals, clearances, licences and the like vested with the previous lessee for a period of two years;

AND WHEREAS, sub-section (3) of section 8B of the MMDR Act provides that notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, it shall be lawful for the new lessee to continue mining operations on the land, in which mining operations were being carried out by the previous lessee, for a period of two years from the date of commencement of the new lease;

AND WHEREAS, in pursuance of the aforesaid amendment to the MMDR Act, the Central Government deems it necessary to align the relevant provisions of the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14^{th} September, 2006 (hereinafter referred to as the EIA Notification, 2006);

AND WHEREAS, the Ministry of Environment, Forest and Climate Change is in the receipt of representations for waiver of requirement of prior environmental clearance for borrowing of ordinary earth for roads; and manual extraction of lime shells (dead shell), shrines, etc., within inter tidal zone by the traditional community;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), read with sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government, after having dispensed with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of the rule 5 of the said rules, in public interest, and in supersession of the notification number S.O. 4307(E), dated the 29^{th} November, 2019, hereby makes the following further amendments in the EIA Notification, 2006, namely:-

In the said notification,-

(i) in paragraph 11, after sub-paragraph (2), the following sub-paragraph shall be inserted, namely:-

"(3) The successful bidder of the mining leases, expiring under the provisions of sub-sections (5) and (6) of section 8A of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (67 of 1957) and selected through auction as per the procedure provided under that Act and the rules made thereunder, shall be deemed to have acquired valid prior environmental clearance vested with the previous lessee for a period of two years, from the date of commencement of new lease and it shall be lawful for the new lessee to continue mining operations as per the same terms and conditions of environmental clearance granted to the previous lessee on the said lease area for a period of two years from the date of commencement of new lease or till the new lessee obtains a fresh environmental clearance with the terms and conditions mentioned therein, whichever is earlier:

Provided that the successful bidder shall apply and obtain prior environmental clearance from the regulatory authority within a period of two years from the date of grant of new lease.";

(ii) in the Schedule, against the item 1(a), in the column (5), after clause (2) of the Note, the following clause shall be inserted, namely:-

"(3) The evacuation or removal and transportation of already mined out material lying within the mining leases expiring under the provisions of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (67 of 1957), by the previous lessee, after the expiry of the said lease, shall not form the part of the mining capacity so permitted to the successful bidder, selected through auction as per the procedure provided under that Act and the rules made thereunder.";

(iii) for Appendix-IX, the following Appendix shall be substituted, namely:-

"APPENDIX-IX

EXEMPTION OF CERTAIN CASES FROM REQUIREMENT OF ENVIRONMENTAL CLEARANCE

The following cases shall not require Prior Environmental Clearance, namely:-

1. Extraction of ordinary clay or sand by manual mining, by the Kumhars (Potter) to prepare earthen pots, lamp, toys, etc. as per their customs.
2. Extraction of ordinary clay or sand by manual mining, by earthen tile makers who prepare earthen tiles.
3. Removal of sand deposits on agricultural field after flood by farmers.
4. Customary extraction of sand and ordinary earth from sources situated in Gram Panchayat for personal use or community work in village.
5. Community works, like, de-silting of village ponds or tanks, construction of village roads, ponds or bunds undertaken in Mahatma Gandhi National Rural Employment and Guarantee Schemes, other Government sponsored schemes and community efforts.
6. Extraction or sourcing or borrowing of ordinary earth for the linear projects such as roads, pipelines, etc.
7. Dredging and de-silting of dams, reservoirs, weirs, barrages, river and canals for the purpose of their maintenance, upkeep and disaster management.
8. Traditional occupational work of sand by Vanjara and Oads in Gujarat vide notification number GU/90(16)/MCR-2189(68)/5-CHH, dated the 14th February, 1990 of the Government of Gujarat.
9. Manual extraction of lime shells (dead shell), shrines, etc., within inter tidal zone by the traditional community.
10. Digging of wells for irrigation or drinking water purpose.
11. Digging of foundation for buildings, not requiring prior environmental clearance, as the case may be.
12. Excavation of ordinary earth or clay for plugging of any breach caused in canal, nallah, drain, water body, etc., to deal with any disaster or flood like situation upon orders of the District Collector or District Magistrate or any other Competent Authority.
13. Activities declared by the State Government under legislations or rules as non-mining activity."

[F. No. Z-11013/47/2018-IA.II (M)]

GEETA MENON, Jt. Secy.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) *vide* number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and subsequently amended *vide* the following numbers:-

1. S.O. 1949 (E), dated the 13th November, 2006;
2. S.O. 1737 (E), dated the 11th October, 2007;
3. S.O. 3067 (E), dated the 1st December, 2009;
4. S.O. 695 (E), dated the 4th April, 2011;
5. S.O. 156 (E), dated the 25th January, 2012;
6. S.O. 2896 (E), dated the 13th December, 2012;
7. S.O. 674 (E), dated the 13th March, 2013;
8. S.O. 2204 (E), dated the 19th July, 2013;
9. S.O. 2555 (E), dated the 21st August, 2013;
10. S.O. 2559 (E), dated the 22nd August, 2013;
11. S.O. 2731 (E), dated the 9th September, 2013;
12. S.O. 562 (E), dated the 26th February, 2014;
13. S.O. 637 (E), dated the 28th February, 2014;

14. S.O. 1599 (E), dated the 25th June, 2014;
15. S.O. 2601 (E), dated the 7th October, 2014;
16. S.O. 2600 (E), dated the 9th October, 2014;
17. S.O. 3252 (E), dated the 22nd December, 2014;
18. S.O. 382 (E), dated the 3rd February, 2015;
19. S.O. 811 (E), dated the 23rd March, 2015;
20. S.O. 996 (E), dated the 10th April, 2015;
21. S.O. 1142 (E), dated the 17th April, 2015;
22. S.O. 1141 (E), dated the 29th April, 2015;
23. S.O. 1834 (E), dated the 6th July, 2015;
24. S.O. 2571 (E), dated the 31st August, 2015;
25. S.O. 2572 (E), dated the 14th September, 2015;
26. S.O. 141 (E), dated the 15th January, 2016;
27. S.O. 648 (E), dated the 3rd March, 2016;
28. S.O. 2269(E), dated the 1st July, 2016;
29. S.O. 2944(E), dated the 14th September, 2016;
30. S.O. 3518 (E), dated 23rd November 2016;
31. S.O. 3999 (E), dated the 9th December, 2016;
32. S.O. 4241(E), dated the 30th December, 2016;
33. S.O. 3611(E), dated the 25th July, 2018;
34. S.O. 3977 (E), dated the 14th August, 2018;
35. S.O. 5733 (E), dated the 14th November, 2018;
36. S.O. 5736 (E), dated the 15th November, 2018;
37. S.O. 5845(E), dated the 26th November, 2018;
38. S.O. 345(E), dated the 17th January, 2019;
39. S.O. 1960(E), dated the 13th June, 2019;
40. S.O. 236(E), dated the 16th January, 2020;
41. S.O. 751(E), dated the 17th February, 2020; and
42. S.O. 1223(E), dated the 27th March, 2020.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

Annex. 2

(16)

उत्तर प्रदेश शासन
भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग
संख्या-03/2015/3204/86-2014-278/2011
लखनऊ, दिनांक – 22 अक्टूबर, 2014

अधिसूचना

साधारण खण्ड अधिनियम-1897 (अधिनियम संख्या-10 सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित खान और खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 (अधिनियम संख्या-67 सन् 1957) की धारा-15 की उपधारा (1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल, उत्तर प्रदेश उप खनिज (परिहार) नियमावली, 1963 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते है :-

उत्तर प्रदेश उप खनिज (परिहार) (सैंतिसवाँ संशोधन) नियमावली, 2014

संक्षित नाम और प्रारम्भ	1. (1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश उप खनिज (परिहार) (सैंतिसवाँ संशोधन) नियमावली, 2014 कही जायेगी। (2) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।
नियम-3 का संशोधन	2. उत्तर प्रदेश उप खनिज (परिहार) नियमावली, 1963 जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है, में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये नियम-3 के स्थान पर, स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात् :-

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
3-खनन संक्रियायें, खनन पट्टे या खनन अनुज्ञा-पत्र के अधीन होगी-	**3-खनन संक्रियायें, खनन पट्टे या खनन अनुज्ञा-पत्र के अधीन होगी-**
(1) कोई व्यक्ति राज्य के भीतर किसी क्षेत्र में किसी ऐसे उप-खनिज की, जिस पर यह नियमावली प्रयोज्य हो, इस नियमावली के अधीन दिये गये खनन पट्टे या खनन अनुज्ञा पत्र की शर्तों और प्रतिबन्धों के अधीन और उनके अनुसार के अतिरिक्त कोई खनन संक्रियायें न कर सकेगा। प्रतिबन्ध यह कि किसी बात का प्रभाव इस नियमावली में प्रारम्भ होने के पूर्व यथाविधि दिये गये खनन पट्टा या अनुज्ञा-पत्र की शर्तों तथा प्रतिबन्धों के अनुरूप की गयी खनन संक्रियायें पर न पडेगा। स्पष्टीकरण:-ईट बनाने हेतु हस्तचालन से खुदायी द्वारा अथवा हस्तचालन से सामान्य मिट्टी को निकालने की क्रिया खनन संक्रियायें के अन्तर्गत नहीं आयेगी जब तक की खनन स्थल की गहरायी 02 मीटर से अधिक न हो।	(1) कोई व्यक्ति राज्य के भीतर किसी क्षेत्र में किसी ऐसे उप-खनिज की, जिस पर यह नियमावली प्रयोज्य हो, इस नियमावली के अधीन दिये गये खनन पट्टे या खनन अनुज्ञा-पत्र की शर्तों और प्रतिबन्धों के अधीन और उनके अनुसार के अतिरिक्त कोई खनन संक्रियायें न कर सकेगा। प्रतिबन्ध यह कि किसी बात का प्रभाव इस नियमावली में प्रारम्भ होने के पूर्व यथाविधि दिये गये खनन पट्टा या अनुज्ञा-पत्र की शर्तों तथा प्रतिबन्धों के अनुरूप की गयी खनन संक्रियायें पर न पडेगा। स्पष्टीकरण:- इस नियमावली के प्रयोजनार्थ ईट एवं मिट्टी के बर्तन बनाने हेतु हस्तचालन से खुदायी द्वारा अथवा हस्तचालन से साधारण मृदा, समान्य मिट्टी को निकालने की क्रिया खनन संक्रियायें के अन्तर्गत नहीं आयेगी। प्रतिबन्ध यह कि ऐसी खुदाई अथवा खनन के फलस्वरूप उत्पन्न गड्ढों की गहराई 02 मीटर से अधिक नहीं होगी
(2) कोई खनन पट्टा या खनन अनुज्ञा-पत्र इस नियमावली के उपबन्धों से भिन्न प्रकार न दिया जायेगा।	(2) कोई खनन पट्टा या खनन अनुज्ञा-पत्र इस नियमावली के उपबन्धों से भिन्न प्रकार न दिया जायेगा।

नियम 9 का संशोधन	3. उक्त् नियमावली में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये नियम-9 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात् :-

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
9-कतिपय व्यक्तियों के अधिमानी अधिकारी :-	**9-कतिपय व्यक्तियों के अधिमानी अधिकारी :-**
(1) जहाँ दो या दो से अधिक व्यक्तियों ने एक ही भूमि	(1) जहाँ क्षेत्र/क्षेत्रों को खनन पट्टा स्वीकृत करने हेतु

के सम्बन्ध में खनन पट्टे के लिये आवेदन किया हो, वहाँ उस प्रार्थी को जिसका प्रार्थना-पत्र अपेक्षाकृत पहले प्राप्त हुआ है, ऊपर पट्टा दिये जाने का अधिमानी अधिकारी होगा;	उनकी उपलब्धता नियम 72 के प्राविधानों के अन्तर्गत जिला अधिकारी द्वारा घोषित की गयी है, वहाँ उस घोषणा में विनिर्दिष्ट अवधि के दौरान प्राप्त सभी प्रार्थना-पत्र एक ही दिन में प्राप्त समझे जायेंगे और उप नियम (2) में विनिर्दिष्ट बातों पर विचार करने के पश्चात् सभी प्रार्थना-पत्रों पर एक साथ विचार किया जायेगा और ऐसे प्रार्थियों में से किसी ऐसे प्रार्थी के पक्ष में, जो उनके द्वारा उचित समझा जाये, खनन पट्टा स्वीकृत किया जायेगा।
प्रतिबन्ध यह है कि जहाँ ऐसे प्रार्थना-पत्र एक ही दिन प्राप्त हुये हों, वहाँ राज्य सरकार उप नियम (2) में विनिर्दिष्ट बातों पर विचार करने के पश्चात् खनन पट्टा प्रार्थियों में से किसी ऐसे प्रार्थी को दे सकती है, जिसे वह उचित समझे।	
(2) उपनियम (1) में अभिदिष्ट बातें :- (क) प्रार्थी को खनन संक्रियाओं में विशिष्ट ज्ञान एवं अनुभव; (ख) प्रार्थी के वित्तीय संसाधन; (ग) प्रार्थी द्वारा सेवायोजित या सेवायोजित किये जाने वाले प्राविधिक कर्मचारी वर्ग (स्टाफ) की प्रकृति और गुणवत्ता; (घ) किसी पूर्व पट्टे या अनुज्ञा-पत्र के आधार पर खनन संक्रियाओं को कार्यान्वित करने में और ऐसे पट्टे या अनुज्ञा-पत्र की शर्तों या उसके सम्बन्धित में किसी विधि के उपबन्धों का पालन करने में प्रार्थी का आचरण; और (ड) नदी तल में अनन्य रूप से पायी जाने वाली बालू या मौरम या बजरी या बोल्डर या उनमें से कोई भी मिली जुली अवस्था में हो, के लिये खनन पट्टे के सम्बन्ध में, यदि अन्य बातें समान हों, तो किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को, चाहे वह निगमित हो अथवा नहीं, जो सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़ी जातियों; जैसे- (मल्लाह, केवट, बिन्द, निषाद, माँझी, बाथम, धीयर, थैमर, चाई, सोरहिया, तुरहा, रैकवार, कैवर्त, खुलवट, तियार गौडिया, गोडिया और कश्यप) और नागरिकों की ऐसी अन्य वर्गों के हों, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया गया हो और जिन्होंनें सम्बन्धित जिलाधिकारी अथवा	(2) उपनियम (1) में अभिदिष्ट बातें :- (क) प्रार्थी को खनन संक्रियाओं में विशिष्ट ज्ञान एवं अनुभव; (ख) प्रार्थी के वित्तीय संसाधन; (ग) प्रार्थी द्वारा सेवायोजित या सेवायोजित किये जाने वाले प्राविधिक कर्मचारी वर्ग (स्टाफ) की प्रकृति और गुणवत्ता; (घ) किसी पूर्व पट्टे या अनुज्ञा-पत्र के आधार पर खनन संक्रियाओं को कार्यान्वित करने में और ऐसे पट्टे या अनुज्ञा-पत्र की शर्तों या उसके सम्बन्धित में किसी विधि के उपबन्धों का पालन करने में प्रार्थी का आचरण; और (ड) ऐसे अन्य बातें जो राज्य सरकार द्वारा आवश्यक समझी जायें,
इस हेतु राज्य सरकार द्वारा अधिकृत अन्य अधिकारी से प्रपत्र एम0एम0-14 के प्रारूप पर इस आशय का प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो कि अमुक व्यक्ति/व्यक्तियों के समूह पारम्परिक रूप से अपने जीवकोपार्जन हेतु बालू/मौरंग के उत्खनन कार्य में लगे है, और उसी जिले के निवासी हैं, जिसमें वह क्षेत्र जिसके लिए पट्टे का आवेदन किया गया है स्थित हो, अधिमान दिया जायेगा।	

(च) ऐसे अन्य बातें जो राज्य सरकार द्वारा आवश्यक समझी जायें,	
(3) उपनियम (2) में किसी बात के होते हुये भी किन्तु उपनियम (1) के उपबन्धों के अधीन रखते हुए राज्य सरकार किन्हीं विशेष कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे, किसी ऐसे प्रार्थी को जिसका प्रार्थना पत्र पहले प्राप्त हुआ हों, अधिमान में किसी ऐसे प्रार्थी को जिसका प्रार्थना पत्र बाद में प्राप्त हुआ हों, पट्टा दे सकती है।	(3) उपनियम (1) एवं (2) में किसी बात के होते हुए भी नक्सल प्रभावित ग्रामों, जिसें राज्य सरकार द्वारा सामान्य आदेश के अन्तर्गत घोषित किया गया हो, में स्थित एक तिहाई खनन क्षेत्रों के लिये पट्टा ऐसे स्वय सहायता समूहों को जिसके सदस्य उसी ग्राम के निवासी हों जिसमें ऐसा पट्टा स्थित है, को प्रदान किया जायेगा और ऐसे एक तिहाई क्षेत्रों का निर्धारण उस जिलें के जिलाधिकारी के द्वारा सरकार से अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त किया जायेगा:
(4) उपनियम (1), (2) एवं (3) में किसी बात के होते हुए भी नक्सल प्रभावित ग्रामों, जिसें राज्य सरकार द्वारा सामान्य आदेश के अन्तर्गत घोषित किया गया हो, में स्थित एक तिहाई खनन क्षेत्रों के लिये पट्टा ऐसे स्वय सहायता समूहों को जिसके सदस्य उसी ग्राम के निवासी हों जिसमें ऐसा पट्टा स्थित है, को प्रदान किया जायेगा और ऐसे एक तिहाई क्षेत्रों का निर्धारण उस जिलें के जिलाधिकारी के द्वारा सरकार से अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त किया जायेगा;	
प्रतिबन्ध यह है कि उपनियम (4) के अन्तर्गत अधिमान प्राप्त करने हेतु ऐसे स्वयं सहायता समूह ही पात्र होंगे जिसके कम से कम एक तिहाई सदस्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के हों, और ऐसी जातियों के सदस्य, जैसे मल्लाह, केवट आदि जो पारम्परिक रूप से बालू के उत्खनन में लगे हो एवं उसी ग्राम के निवासी हों, जिसमें वह पट्टा क्षेत्र स्थित है।	प्रतिबन्ध यह है कि उपनियम (3) के अन्तर्गत अधिमान प्राप्त करने हेतु ऐसे स्वयं सहायता समूह ही पात्र होंगे जिसके कम से कम एक तिहाई सदस्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के हों, और ऐसी जातियों के सदस्य, जैसे मल्लाह, केवट आदि जो पारम्परिक रूप से बालू के उत्खनन में लगे हो एवं उसी ग्राम के निवासी हों, जिसमें वह पट्टा क्षेत्र स्थित है।

नये नियम 9-क का बढ़ाया जाना

4. उक्त नियमावली में नियम-9 के पश्चात् निम्नलिखित नियम बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् :-

नदी तल में अनन्य रूप से पाये जाने वाले बालू या मौरम या बजरी या बोल्डर या उनमें से कोई भी मिली –जुली अवस्था में हो, के खनन पट्टा के स्वीकृत किये जाने की प्रक्रिया

9-क नियम-9 में किसी बात के होते हुए, बालू या मौरम या बजरी या बोल्डर या उनमें से कोई भी, जो मिली-जुली अवस्था में नदी तल में अनन्य रूप से पाये जाते है, के खनन पट्टे एतद्पश्चात् दी गयी विधि से ही स्वीकृत किये जायेंगे :-

(क) खनन पट्टे की स्वीकृति के लिये क्षेत्र एवं उसकी उपलब्धता नियम-72 के प्राविधानों के अनुसार घोषित की जायेगी, जिसमें क्षेत्र का स्थान, वार्षिक पट्टा धनराशि, जैसा कि नियम-14 मे प्राविधानित है तथा 7 कार्यकारी दिवसों की अवधि, जिसमें इस प्रयोजन हेतु जिलाधिकारी द्वारा नामित अधिकारी द्वारा प्रार्थना पत्र प्राप्त किये जायेंगे, साथ ही प्रार्थना पत्रों को खोले जाने का समय एवं स्थान का उल्लेख किया जायेगा।

(ख) आवेदन पत्र प्राप्त करने की विनिर्दिष्ट अवधि में जैसा कि घोषणा में दी गयी है, इच्छुक एवं पात्र व्यक्ति मुहरबन्द लिफाफे में, जिसमे क्षेत्र का नाम, और आवेदक का नाम, प्रथम मुहरबन्ध लिफाफे के मुख पर उल्लिखित कर, अपने आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकते है। मुहरबन्ध लिफाफे में, दो अन्य मुहरबन्ध लिफाफें आवेदक द्वारा रखे जायेगें, जिसमें क्षेत्र का नाम एवं प्रार्थी का नाम, लिफाफों के मुख पर लिखा जायेगा और दोनो लिफाफों का शीर्षक क्रमशः 'क' एवं 'ख' होगा।

(ग) शीर्षक 'क' वाले प्रथम मुहरबन्ध लिफाफे में प्रार्थी निम्नलिखित दस्तावेज रखेगा; अर्थात:-

(एक) प्रपत्र एम0एम0-1 पर आवेदन पत्र।

(दो) रूपये 5000/- का शुल्क एवं नियम-17 में विनिर्दिष्ट व्ययों से भिन्न अन्य प्रारम्भिक व्ययों को पूरा करने के लिये रूपये 10,000/- की जमा।

(तीन) उस जिले के जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र जहाँ आवेदक स्थायी रूप से निवास करता हो।

(चार) ऐसी धनराशि का समाशोधन क्षमता प्रमाण पत्र, जो आवेदित क्षेत्र की वार्षिक पट्टा धनराशि से आधे से कम न हों।

(पाँच) नियम-6 में उल्लिखित ऐसे अन्य अधिकारियों द्वारा दिये गये अनापत्ति प्रमाण पत्र।

(छः) इस सम्बन्ध मे आवेदक की स्वतः घोषणा की :-

(क) पूर्व में आवेदक अवैध खनन गतिविधियों में न तो संलिप्त रहा है और न ही वह अवैध खनन के अपराध के लिये सक्षम न्यायालय द्वारा दण्डित किया गया है,

(ख) राजकीय विभागों द्वारा अवेदक के विरूद्व कोई कार्यवाही संस्थित नहीं की गयी है.

(ग) आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है.

(घ) आवेदक काली सूची में नहीं है.

(घ) दूसरे मुहरबन्द लिफाफे शीर्षक 'ख' में आवेदक दो दस्तावेज प्रस्तुत करेगा, अर्थात् :-

(एक) खनन पटटा प्राप्त करने हेतु आवेदित क्षेत्र के सम्बन्ध में इस आशय की घोषणा कि वह वापसा न किये जाने एवं समायोजित न किये जाने वाली धनराशि रूपये.......................... (जो स्वामित्व एवं अनिवार्य भाटक के अतिरिक्त होगी) का प्रस्ताव दे रहा है।

(दो) जिलाधिकारी के पक्ष में देय, बैंक ड्राफ्ट जो आवेदक द्वारा उपखण्ड (एक) में उल्लिखित प्रस्तावित धनराशि से एक चौथाई धनराशि से कम नहीं होगी। अवशेष धनराशि, जो उपखण्ड (एक)में दिये गये प्रस्ताव मे उल्लिखित है, खनन पट्टा विलेख के निष्पादन के पूर्व, भूगतान करनी होगी।

(ड) विनिर्दिष्ट अवधि के मध्य प्राप्त आवेदन प्रत्रों एंव प्रस्तावों के लिये एक समिति जिसके सदस्य निम्नवत् होंगे, गठित की जायेगी, अर्थात् :-

(एक) जिलाधिकारी अथवा जिलाधिकारी द्वारा नामित कोई अन्य प्राधिकारी	अध्यक्ष
(दो) प्रभागीय वन अधिकारी अथवा उनके द्वारा नामित कोई अन्य अधिकारी	सदस्य
(तीन) निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म अथवा उनके द्वारा नामित कोई अन्य अधिकारी	सदस्य
(चार) भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग का क्षेत्रीय अधिकारी	सदस्य
(पाँच) जनपद के खान अधिकारी/खान निरीक्षक	सदस्य-सचिव

(च) इस प्रयोजन हेतु नियत दिनाँक एवं समय पर समिति प्रथमतःविवरण-तालिका तैयार करेगी जिसमें क्षेत्र का नाम, क्षेत्र का विस्तार, आवेदन पत्र प्राप्त करने विनिर्दिष्ट अवधि, प्राप्त आवेदन पत्र और आवेदन पत्रों के विवरण भी उल्लिखित किये जायेंगे। समिति द्वारा यह भी अवधारित किया जायेगा कि ऐसे आवेदक, जो अर्ह नहीं है और जो पात्र नहीं पाये गये हैं, उनके नाम के आगे एक विशेष टिप्पणी, विवरण-तालिका में उल्लिखित की जायेगी तथा उनके द्वारा दिये गये प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जायेगा।

(छ) समिति, तदोपरान्त उन आवेदकों, जो खनन पट्टा प्राप्त करने हेतु अर्ह पाये गये हैं, के द्वारा शीर्षक 'ख' का मुहरबंद लिफाफा खोलेगी, उनके द्वारा दिये गये प्रस्ताव को उनके नाम के आगे उल्लिखित करेगी। समिति आवेदक द्वारा संलग्न किये गये बैंक ड्राफ्ट के विवरण-बैंक का नाम, संख्या, बैंक ड्राफ्ट की धनराशि का उल्लेख करेगी। ऐसे आवेदक, जिन्होंने आवश्यक धनराशि का बैंक ड्राफ्ट संलग्न नहीं किया है, वे विचारण क्षेत्र से बाहर होंगे।

(ज) विवरण-तालिका, जैसी वर्णित है, तैयार हो जाने के उपरान्त, समिति अपनी लिपिबद्ध आख्या खनन पट्टा स्वीकृत करने हेतु ऐसे आवेदक के पक्ष में जो अर्ह हो और जिसने खनन पट्टा प्राप्त करने हेतु सर्वोच्च एवं संतोष जनक धनराशि का प्रस्ताव दिया हो, संस्तुति सहित प्रस्तुत करेंगी।

(झ) समिति द्वारा प्रस्तुत लिपिबद्ध आख्या के प्रकाश में, जिलाधिकारी राज्य सरकार की पूर्व सहमति प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव अग्रसारित करेंगे तथा राज्य सरकार की पूर्व सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही ऐसे आवेदक के पक्ष में औपचारिक स्वीकृति आदेश निर्गत करेगा।

(ञ) ऐसे आवेदक, जिसके पक्ष में खनन पट्टे लिये जिलाधिकारी द्वारा संस्तुति नही की गयी हैं उनके बैक ड्राफ्ट तत्काल वापस कर दिये जायेंगे।

(ट) इस नियमावली के अन्य प्राविधान, इस नियम के अन्तर्गत स्वीकृत खनन पट्टों पर यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।

नियम 10 का 5. उक्त नियमावली में नीचें स्तम्भ-1 में दिये गये नियम-10 के स्थान पर, स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख

(20)

संशोधन दिया जायेगा, अर्थात् :-

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
10. क्षेत्र का विस्तार जिसके लिये खनन पट्टा दिया जा सकता है :-	**10. क्षेत्र का विस्तार जिसके लिये खनन पट्टा दिया जा सकता है :-**
(1) खनन पट्टे की स्वीकृत हेतु न्यूनतम क्षेत्र 5 हेक्टेयर होगा।	(1) बालू या मोरम या बजरी या बोल्डर इनमें से कोई भी जो मिली जुली अवस्था में हो और जो नदी तल में अनन्य रूप से पायी जाती हो, के खनन पट्टे की स्वीकृति हेतु न्यूनतम क्षेत्र साधारणतया 5 हेक्टेयर एवं चटटानों के रूप में पाये जाने वाले ऐसे खनिजो अपनी उत्तपत्ति के स्थान से विस्थापित न हुआ हो तथा अन्य रूप खनिज के खनन पट्टे की स्वीकृति हेतु न्यूनतम क्षेत्र 1 हेक्टेयर होगा।

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
	प्रतिबन्ध यह है कि उपरोक्तानुसार विस्तार वाले क्षेत्र की अनुपलब्धता की स्थिति में यह उपनियम लागू नहीं होगा।
(2) ऐसे क्षेत्र के सम्बन्ध में जो संहत, मिला हुआ अथवा वैज्ञानिक दृष्टि से विकसित किये जाने के लिये उपयुक्त नहीं है, कोई खनन पट्टा स्वीकृत नहीं किया जायेगा :	(2) ऐसे क्षेत्र के सम्बन्ध में जो संहत, मिला हुआ न हो अथवा वैज्ञानिक दृष्टि से विकसित किये जाने के लिये उपयुक्त नहीं है, कोई खनन पट्टा स्वीकृत नहीं किया जायेगा :
प्रतिबन्ध यह है कि छोटे निक्षेप के सम्बन्ध में, जो विखण्डित ढेरों में कारण वैज्ञानिक ढंग से खनन हेतु उपयुक्त नहीं है, बिना किसी विभाजन के ऐसे निक्षेप के समूह के लिये खनन पट्टे पर स्वीकृत किया जायेगा।	प्रतिबन्ध यह है कि छोटे निक्षेप के सम्बन्ध में जो विखण्डित ढेरों में कारण वैज्ञानिक ढंग से खनन हेतु उपयुक्त नहीं है, बिना किसी विभाजन के ऐसे निक्षेप के समूह के लिये खनन पट्टे पर स्वीकृत किया जायेगा।
(3) कोई व्यक्ति किसी उप खनिज के सम्बन्ध में सिवाय बालू या मोरम या बजरी या बोल्डर के या इनमें से काई भी, जो मिली-जुली अवस्था में हो और जो नदी तल में अनन्य रूप से पायी जाती हो तीन खनन पट्टों से अधिक अर्जित नहीं करेगा जिसमें 25 हेक्टेयर से अधिक का कुल क्षेत्र आच्छादित हो :	(3) कोई व्यक्ति किसी उप खनिज के सम्बन्ध में सिवाय बालू या मोरम या बजरी या बोल्डर के या इनमें से काई भी, जो मिली-जुली अवस्था में हो और जो नदी तल में अनन्य रूप से पायी जाती हो तीन खनन पट्टों से अधिक अर्जित नहीं करेगा जिसमें 25 हेक्टेयर से अधिक का कुल क्षेत्र आच्छादित हो :
प्रतिबन्ध यह है कि बालू या मोरम या बजरी या बोल्डर या इनमें से काई भी, जो मिली-जुली अवस्था में हो और जो नदी तल में अनन्य रूप से पायी जाती हो, के सम्बन्ध में पांच खनन पट्टे या चार सौ हेक्टेयर से अधिक के क्षेत्र हो, उत्तर प्रदेश राज्य में किसी व्यक्ति के पक्ष में स्वीकृत नहीं किया जायेगा :	प्रतिबन्ध यह है कि बालू या मोरम या बजरी या बोल्डर या इनमें से काई भी, जो मिली-जुली अवस्था में हो और जो नदी तल में अनन्य रूप से पायी जाती हो, के सम्बन्ध में पांच खनन पट्टे या चार सौ हेक्टेयर से अधिक के क्षेत्र हो, उत्तर प्रदेश राज्य में किसी व्यक्ति के पक्ष में स्वीकृत नहीं किया जायेगा :
अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार की यह राय हो कि खनिज विकास के हित में ऐसा करना आवश्यक है तो वह, उन कारणों में से जो लिखित रूप से अभिलिखित किये जायेंगे, किसी व्यक्ति को एक या	अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार की यह राय हो कि खनिज विकास के हित में ऐसा करना आवश्यक है तो वह, उन कारणों में से जो लिखित रूप से अभिलिखित किये जायेंगे, किसी व्यक्ति को एक या

एक से अधिक पट्टे जिसके अन्तर्गत ऊपर उल्लिखित सीमा से अधिक क्षेत्र आच्छादित हो, अर्जित करने की अनुमति दे सकती है।	एक से अधिक पट्टे जिसके अन्तर्गत ऊपर उल्लिखित सीमा से अधिक क्षेत्र आच्छादित हो, अर्जित करने की अनुमति दे सकती है।
स्पष्टीकरण: इस नियम के प्रयोजनों के लिये यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा या दूसरे व्यक्ति के नाम से ऐसा खनन पट्टा अर्जित करें जो स्वयं उसके ही लिये अभिप्रेत हो, तो यह समझा जायेगा कि वह उसे स्वयं अपने लिये अर्जित कर रहा है।	**स्पष्टीकरण:** इस नियम के प्रयोजनों के लिये यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा या दूसरे व्यक्ति के नाम से ऐसा खनन पट्टा अर्जित करें जो स्वयं उसके ही लिये अभिप्रेत हो, तो यह समझा जायेगा कि वह उसे स्वयं अपने लिये अर्जित कर रहा है।

नियम 21 का संशोधन

6. उक्त नियमावली में नियम 21 में स्तम्भ—1 में दिये गये उपनियम-(1-क) के स्थान पर, स्तम्भ-2 में दिया गया उपनियम रख दिया जायेगा, अर्थात् :-

स्तम्भ-1 **विद्यमान नियम**	**स्तम्भ-2** **एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम**
(1-क) नियम 3 में किसी बात के प्रतिकूल होते हुये भी ईट भट्टा मालिकों को नियमावली की प्रथम अनुसूची में तत्समय विनिर्दिष्ट दरों पर स्वामित्व का भुगतान करना होगा।	(1-क) नियम 3 में किसी बात के प्रतिकूल होते हुये भी सम्बन्धित ईट भट्टा मालिकों अथवा साधारण मृदा या साधारण मिट्टी के उपयोगकर्ता को इस नियमावली की प्रथम अनुसूची में उल्लिखित दरों पर स्वामित्व का भुगतान करना होगा।

नियम 52-क का बढ़ाया जाना

7. उक्त नियमावली में नियम 52 के पश्चात् निम्नलिखित नियम बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् :-

कृषिकीय भूमि पर खनन अनुज्ञा पत्र स्वीकृत करने की प्रक्रिया

52-क(1) नियम 72 मे किसी बात के होते हुए कृषि भूमि का भूमिधर उसकी भूमि पर बाढ़ के कारण जमा बालू और मौरम को हटाने हेतु खनन अनुज्ञा पत्र की स्वीकृति हेतु प्रपत्र एम0एम0-8 पर तीन प्रतियों में रू0 2000/- (रूपये दो हजार) मात्र की फीस एवं भू-कर सर्वेक्षण मानचित्र की दो प्रतियां, जिसमें आवेदित क्षेत्र स्पष्ट रूप से चिन्हांकित हो, जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है।

(2) जिलाधिकारी यदि आवश्यक समझे तब सम्बन्धित तहसीलदार और खान अधिकारी/खान निरीक्षक के द्वारा निम्नलिखित बिन्दुओं पर जांच करा सकता है :-

(क) क्या बालू और मौरम आवेदित का नाम आवेदित भूमि पर बाढ़ के कारण जमा हुए है।

(ख) क्या आवेदन/आवेदकों का नाम आवेदित क्षेत्र में भूमिधर के रूप में अभिलिखित है:

(ग) क्या बालू और मौरम के जमाव के कारण आवेदक/आवेदक आवेदित क्षेत्र के उपयोग न किये जाने पर क्षति वहन कर रहे हैं।

(घ) क्या ऐसी भूमि विगत वर्ष में कृषि कार्य हेतु उपयोग की जा रही थी,

(ड) क्या आवेदक द्वारा उपखनिज की आवेदित मात्रा आवेदित क्षेत्र में उपलब्ध है,

(च) क्या खनन अनुज्ञा पत्र के आवेदित क्षेत्र खनन हेतु उपयुक्त है।

(3) उपर उल्लिाखित तहसीलदार/खान अधिकारी या खान निरीक्षक जैसा कि अभिप्रेत हो की बिन्दुवार आख्या के प्रकाश में जिलाधिकारी एक फसली वर्ष में तीन माह से अनाधिक अवधि के लिये भूमिधर के पक्ष में स्वामित्व की धनराशि को अग्रिम रूप से जमा कराकर खनन अनुज्ञा पत्र स्वीकृत कर सकते है।

(4) सिवाय उपरिलिखित उपबन्धों के इस नियमावली के अन्य उपबन्ध इस नियम के अधीन स्वीकृत खनन अनुज्ञा पत्र पर आवश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।

आज्ञा से,

डा0 गुरदीप सिंह,
प्रमुख सचिव।

(1) उत्तर प्रदेश उप खनिज(परिहार) नियमावली, 1963 अधिसूचना संख्या-1575-एम-18-बी0एम-97-58 दिनाक 26 अगस्त,1963 के साथ जारी की गई और उत्तर प्रदेश गजट दिनाक 14 सितम्बर, 1963 में प्रकाशित की गई ।

(2) प्रथम संशोधन अधिसूचना संख्या-331-एम/18-एफ0एम0-331-66, दिनाँक 16 नवम्बर,1968 कि साथ जारी किया गया था।

(3) द्वितीय संशोधन अधिसूचना संख्या-1181-एम/18-एफ0एम0-21-67, दिनाँक 23 नवम्बर, 1969 के साथ जारी किया गया था।

(4) तृतीय संशोधन अधिसूचना संख्या-3388-आई0एम0/18-एफ0-15-एम0एम0-66, दिनांक 31 अगस्त, 1970 के साथ जारी किया गया था।

(5) चतुर्थ संशोधन अधिसूचना संख्या-2746-एम/18-12-(14)-72, दिनांक 28 दिसम्बर, 1972 के साथ जारी किया गया और 31 दिसम्बर, 1972 के उत्तर प्रदेश असाधारण गजट में प्रकाशित हुआ था।

(6) पंचम संशोधन अधिसूचना संख्या-4669/18-12-57/75, दिनांक 14 सितम्बर, 1972 के साथ जारी किया गया और 15 सितम्बर, 1976 के उत्तर प्रदेश असाधारण गजट में प्रकाशित हुआ था।

(7) षष्ठम संशोधन अधिसूचना संख्या-1518/18-12-200-77, दिनांक 25 अप्रैल, 1978 के साथ जारी किया गया और 01 मई, 1978 के उत्तर प्रदेश असाधारण गजट में प्रकाशित हुआ था।

(8) सप्तम संशोधन अधिसूचना संख्या-3157/18-12-57-75 सी0ए0-67-1957 रूल्स-1963 एम0एम0(7)-1978, दिनांक 27 जुलाई, 1978 के साथ जारी किया गया और 01 अगस्त, 1978 के उत्तर प्रदेश असाधारण गजट में प्रकाशित हुआ था।

(9) अष्टम संशोधन अधिसूचना संख्या-3186/18-12-सी0ए0-67-1957 रूल्स-1963 ए0एम0-6-77-95-77, दिनांक 9 जनवरी, 1979 के साथ जारी किया गया और 30 जनवरी, 1979 के उत्तर प्रदेश असाधारण गजट में प्रकाशित हुआ था।

(10) नवम संशोधन अधिसूचना संख्या-8010/18-12-332-79-यू0पी0-67-1957 रूल्स-1963 ए0एम0(9)-1982, दिनांक 15 जनवरी, 1982 के साथ जारी किया गया और 01 फरवरी, 1982 के उत्तर प्रदेश असाधारण गजट में प्रकाशित हुआ था।

(11) दसवाँ संशोधन अधिसूचना संख्या-486/18-12-85 यू0पी0ए0-67-1957 रूल्स-196 ए0एम0(10)-1982, दिनांक 17 मार्च, 1982 के साथ जारी किया गया और 24 मार्च, 1982 के उत्तर प्रदेश असाधारण गजट में प्रकाशित हुआ था।

(12) ग्यारहवाँ संशोधन अधिसूचना संख्या-5379/18-12-200-77-यू0पी0ए0-67-1957 रूल्स-1963 ए0एम0-(11)-1984, दिनांक 12 अक्टूबर, 1984 के साथ जारी किया गया और 19 अक्टूबर, 1984 के उत्तर प्रदेश असाधारण गजट में प्रकाशित हुआ।

(13) बारहवाँ संशोधन अधिसूचना संख्या-81/18-12-213-79-यू0पी0ए0-67-1957 रूल्स-1963 ए0एम0-(12)-1985, दिनांक 9 जनवरी, 1985 के साथ जारी किया गया और 11 जनवरी, 1985 के उत्तर प्रदेश असाधारण गजट में प्रकाशित हुआ था।

(14) तेरहवाँ संशोधन अधिसूचना संख्या-4670/18-12-213-79-यू0पी0ए0-67-1957 रूल्स-1963 ए0एम0-(13)1985, दिनांक 29 मई, 1985 के साथ जारी किया गया और 31 मई, 1985 के उत्तर प्रदेश असाधारण गजट में प्रकाशित हुआ था।

(15) चौदहवाँ संशोधन अधिसूचना संख्या-6689/18-12-206-85, दिनांक 12अगस्त, 1985 के साथ जारी किया गया और 20 अगस्त, 1985 के उत्तर प्रदेश असाधारण गजट में प्रकाशित हुआ था।

(16) पन्द्रहवाँ संशोधन अधिसूचना संख्या-4896/18-12-89-200-77, दिनांक 28 अगस्त, 1989 के साथ जारी किया गया और 28 अगस्त, 1989 के उत्तर प्रदेश असाधारण गजट में प्रकाशित हुआ था।

(17) सोलहवाँ संशोधन अधिसूचना संख्या-2931/18-12-90-3(16)-90, दिनांक 30 जून, 1990 के साथ जारी किया गया और 7 जुलाई, 1990 के उत्तर प्रदेश असाधारण गजट में प्रकाशित हुआ था।

(18) सत्रहवाँ संशोधन अधिसूचना संख्या-5233/18-12-90-10-90, दिनांक 26 सितम्बर, 1990 के साथ जारी किया गया और 20 अक्टूबर, 1990 के उत्तर प्रदेश असाधारण गजट में प्रकाशित हुआ था।

(19) अटठारहवाँ संशोधन अधिसूचना संख्या-1862/18-12-93-200-77, दिनांक 19 जुलाई, 1930 के साथ जारी किया गया और 14अगस्त, 1993 के उत्तर प्रदेश असाधारण गजट में प्रकाशित हुआ था।

(20) उन्नीसवाँ संशोधन अधिसूचना संख्या-2855/18-12-93-200-77, दिनांक 26 सितम्बर एवं 25 नवम्बर 1993 के साथ जारी किया गया और 1 जनवरी, 1994 के उत्तर प्रदेश असाधारण गजट में प्रकाशित हुआ था।

(21) बीसवाँ संशोधन अधिसूचना संख्या-3871/18-12-94-10-90-टी0सी0, दिनांक 27 अगस्त, 1994 के साथ जारी किया गया और 27 अगस्त, 1994 के उत्तर प्रदेश असाधारण गजट में प्रकाशित हुआ था।

(22) इक्कीसवाँ संशोधन अधिसूचना संख्या-5471/18-12-94-10-90-टी0सी0, दिनांक 2 फरवरी, 1985 के साथ जारी किया गया और 20 अगस्त, 1985 के उत्तर प्रदेश असाधारण गजट में प्रकाशित हुआ था।

(23) बाइसवाँ संशोधन अधिसूचना संख्या-4520/18-11-96-200-77, दिनांक 9 जनवरी, 1997 के साथ जारी किया गया और 9 जनवरी, 1997 के उत्तर प्रदेश असाधारण गजट में प्रकाशित हुआ था।

(24) तेइसवाँ संशोधन अधिसूचना संख्या-859/77-5-2001-8(204)/95 टी0सी0, दिनांक 31 मार्च, 2001 के साथ जारी किया गया और 31 मार्च, 2001 के उत्तर प्रदेश असाधारण गजट में प्रकाशित हुआ था।

(25) चैबीसवाँ संशोधन अधिसूचना संख्या-1615/77-5-2001-200/77, दिनांक 28 मार्च, 2001 के साथ जारी किया गया और 28 मार्च, 2001 के उत्तर प्रदेश असाधारण गजट में प्रकाशित हुआ था।

(26) पच्चीसवाँ संशोधन अधिसूचना संख्या-1773/77-5-2002-729 एस0आई0डी0(आर)/2001, दिनांक 12 अप्रैल, 2002 के साथ जारी किया गया और 12 अप्रैल, 2002 के उत्तर प्रदेश असाधारण गजट में प्रकाशित हुआ था।

(27) छब्बीसवाँ संशोधन अधिसूचना संख्या-16661/77-5-2002-729 एस0आई0डी0(आर)/2001, दिनांक 22 जून, 2004 के साथ जारी किया गया और 22 जून, 2004 के उत्तर प्रदेश असाधारण गजट में प्रकाशित हुआ था।

(28) सत्ताइसवाँ संशोधन अधिसूचना संख्या-5666/77-5-2002-8(204)/95 टी0सी0, दिनांक 16 अक्टूबर, 2004 के साथ जारी किया गया और 16 अक्टूबर, 2004 के उत्तर प्रदेश असाधारण गजट में प्रकाशित हुआ था।

(29) अटठाइसवाँ संशोधन अधिसूचना संख्या-6714/77-5-2004-200-77, दिनांक 15 दिसम्बर, 2004 के साथ जारी किया गया और 15 दिसम्बर, 2004 के उत्तर प्रदेश असाधारण गजट में प्रकाशित हुआ था।

(30) उन्नतीसवाँ संशोधन अधिसूचना संख्या-476/77-5-2007-236-2005, दिनांक 15 फरवरी, 2007 के साथ जारी किया गया और 15 फरवरी, 2007 के उत्तर प्रदेश असाधारण गजट में प्रकाशित हुआ था।

(31) तीसवाँ संशोधन अधिसूचना संख्या-530/86-2009-200/ टीसी।।, दिनांक 02 जून, 2009 के साथ जारी किया गया और 02 जून, 2009 के उत्तर प्रदेश असाधारण गजट में प्रकाशित हुआ था।

(24)

(32) इक्तीसवाँ संशोधन अधिसूचना संख्या-336/86-2010-141/07, दिनांक 29 जनवरी, 2010 के साथ जारी किया गया और 29 जनवरी, 2010 के उत्तर प्रदेश असाधारण गजट में प्रकाशित हुआ था।

(33) बतीसवाँ संशोधन अधिसूचना संख्या-1704/86-2010-83-2010, दिनांक 12 मई, 2010 के साथ जारी किया गया और 12 मई, 2010 के उत्तर प्रदेश असाधारण गजट में प्रकाशित हुआ था।

(34) तैतीसवाँ संशोधन अधिसूचना संख्या-7338/86-2011-183/2011, दिनांक 1 दिसम्बर, 2011 के साथ जारी किया गया।

(35) चौतीसवाँ संशोधन अधिसूचना संख्या-2974/86-2012-200/77 टी0सी0-II, दिनांक 2 नवम्बर, 2012 के साथ जारी किया गया।

(36) पैतीसवाँ संशोधन अधिसूचना संख्या-2216/86-2012-235-2010, दिनांक 23 दिसम्बर, 2012 के साथ जारी किया गया और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित असाधारण विधायी परिशिष्ट भाग-4, खण्ड (क) में दिनांक 23 दिसम्बर, 2012 को प्रकाशित हुआ हैं।

(37) छत्तीसवाँ संशोधन अधिसूचना संख्या-1361/86-2013-113/2013, दिनांक 26 फरवरी, 2014 के साथ जारी किया गया और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित असाधारण विधायी परिशिष्ट भाग-4, खण्ड (क) में दिनांक 26 फरवरी, 2014 को प्रकाशित हुआ हैं।

आज्ञा से,

(गेन्दन लाल)
उप सचिव।

Annex-3

(25)

संख्या– 446/81–7–2020–39(पर्या)/2014 टी0सी0–1

प्रेषक,

संजय सिंह,
सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1– समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उ0प्र0 शासन।

2– समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनु0–7 लखनऊः दिनांकः 01 मई, 2020

विषय–पर्यावरणीय अनापत्ति की अनिवार्यता में छूट के निर्णय के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत ई0आई0ए0 अधिसूचना 2006 (यथासंशोधित) सपठित अधिसूचना सं0–1224 (अ) दिनांक 28–03–2020 के परिशिष्ट–9 में निम्न कियाकलापों को पूर्व पर्यावरणीय सहमति की अपेक्षा से छूट प्रदान की गई हैं :–

1. मैनुअल खनन द्वारा साधारण मिट्टी या बालू की कुम्हारों द्वारा मिटटी के घड़े,लैम्प, खिलौने,आदि बनाने के लिए उनकी प्रथाओं के अनुसार निकासी।
2. मैनुअल खनन द्वारा मिटटी की टाइलें बनाने द्वारा जो मिटटी की टाइलें बनाते हैं, के लिए साधारण मिटी या बालू की निकासी।
3. किसानों द्वारा बाढ़ के पश्चात् कृषि भूमि से बालू के जमाव को हटाना।
4. ग्राम पंचायत में अवस्थित स्रोतों से बालू और साधारण मिटटी को वैयक्तिक उपयोग या ग्राम में समुदाय कार्य के लिए प्रथा के अनुसार खनन।
5. सामुदायिक कार्य जैसे ग्रामीण तालाबों या टैंकों से गाद हटाना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार और गारंटी स्कीमों, अन्य सरकारी स्कीमों, प्रायोजित तथा सामुदायिक प्रयासों द्वारा ग्रामीण सड़कों, तालाबों या बांधों का संनिमार्ण।
6. सड़क, पाइपलाइन, आदि जैसे रेखीय परियोजनाओं के लिए साधारण मिटटी की निकासी, निष्कासन या प्रयोग करना।
7. बांधों,तालाबों, मेड़ों, बैराजों, नदी और नहरों की उनके अनुरक्षित तथा आपदा प्रबंधन के प्रयोजन के लिए तलमार्जन और गाद निकालना।
8. गुजरात में गुजरात सरकार की तारीख 14 फरवरी, 1990 की अधिसूचना सं0–जीयू/90(16)/एमसीआर–2189(68)/5–सीएचएच द्वारा बंजारा और ओड द्वारा बालू के पारंपरिक उपजीविका कार्य।
9. पारंपरिक समुदाय द्वारा अंतर ज्वारीय क्षेत्र के भीतर चूने के गोलों (मृत भू– पटल), पवित्र स्थानों, आदि के मैनुअल निकासी।
10. सिंचाई या पेयजल के लिए कुओं की खुदाई।
11. यथास्थिति, ऐसे भवनों की नींव के लिए खुदाई जिनके लिए पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति अपेक्षित नहीं है।

(26)

12. जिला कलेक्टर या जिला मजिस्ट्रेट या किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी के आदेश पर किसी नहर, नाला, ड्रेन, जल निकाय, आदि में होने वाली दरार को भरने के लिए साधारण मिटटी या बालू का उत्खनन ताकि किसी आपदा या बाढ जैसी स्थिति से निपटा जा सके।
13. "ऐसे कियाकलाप, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा विधान या नियमों के अधीन गैर खननकारी कियाकलाप के रूप में घोषित किया गया है।"

2- भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग,उ0प्र0 शासन द्वारा निर्गत अधिसूचना सं0-3204/86-2014-278-2011 दिनांक 22-10-2014 (उ0प्र0 उप खनिज परिहार नियमावली 37वॉ संशोधन 2014) में किये गये प्राविधानों के अधीन यह उल्लेख किया गया है कि:-

"ईट एवं मिटटी के बर्तन बनाने हेतु हस्तसंचालन से खुदाई द्वारा अथवा हस्तसंचालन से साधारण मृदा, समान्य मिट्टी को निकालने की किया, खनन संकियाओं के अर्न्तगत नहीं आएगी, प्रतिबन्ध यह है कि ऐसी खुदाई अथवा खनन के फलस्वरूप उत्पन्न गड्डों की गहराई 02 मीटर से अधिक नहीं होगी"

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत उपरोक्त ई0आई0ए0 अधिसूचना दिनांक 28-3-2020 में उल्लिखित कियाकलापों में छूट के अन्तर्गत उ0प्र0 उप खनिज परिहार नियमावली (37वॉ संशोधन) 2014 के प्राविधानों के अनुसार ईंट बनाने हेतु हस्तचालित विधि से 02 मीटर की गहराई तक साधारण मृदा/सामान्य मिट्टी की खुदाई के लिये पूर्व पर्यावरणीय सहमति की आवश्यकता नहीं होगी।

3- अतः पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत उक्त अधिसूचना दिनांक-28.03.2020 का अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

(संजय सिंह)
सचिव।

<u>संख्या-446(1)/81-7-2020-39(पर्या)/2014 टी0सी0-1, तद्‌दिनांक।</u>

प्रतिलिपिः- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. निदेशक, पर्यावरण, उ0प्र0, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
3. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(भारत प्रसाद)
अनु सचिव।